न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व अपील सं. 03/2023
रा.अपील. अन्तर्गत धारा 75 RLR Act

अपीलाण्ट – 1. गेनसिंह पुत्र आपुसिंह जाति राजपुत निवासी केलनोर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

उतरदातागण –1. सरपंच ग्राम पंचायत केलनोर पंचायत समिति चौहटन
2. तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – अपीलाण्ट वकील – श्री ईलम खान समेजा
उतरदातागण – राज पेरोकार उपस्थित

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27.03.2026

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि अपीलाण्ट के पिता आपूसिंह पुत्र सोनसिंह की खातेदारी भूमि मौजा केलनोर, पटवार हल्का केलनोर, तहसील चौहटन में खेत खसरा संख्या 413 रकबा 15.11 बीघा व खसरा संख्या 729/438 रकबा 60.00 बीघा की आई हुई थी। अपीलांट के पिता आपूसिंह का निधन दिनांक 15.05.2009 को हो गया आपूसिंह का जब निधन हुआ तब आपूसिंह के दो वारिस थे। अपीलांट गेनसिंह पुत्र आपूसिंह व अमरूकंवर पत्नी आपूसिंह। आपूसिंह की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1137 हल्का पटवारी केलनोर ने दिनांक 30.05.2009 को दायर किया उसमें उसमें अपीलांट का नाम गेनसिंह पुत्र सोनसिंह दर्ज कर दिया जबकि अपीलांट की माता का सही नाम अमरूकंवर पत्नी आपूसिंह दर्ज कर दिया चूकि अपीलांट आपूसिंह का जायन्दा पुत्र है। उसके बावजूद हल्का पटवारी की लिपिकीय भूल से अपीलांट रेकर्ड अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

आपूसिंह का भाई बन गया उक्त नामान्तरकरण संख्या 1137 को दिनांक 20.06.2009 को ग्राम पंचायत केलनोर ने पारित भी कर दिया।

अपीलांट का नाम गेनसिंह पुत्र आपूसिंह होने के बावजूद उसका नाम वादग्रस्त भूमि के संबंध में पारित किये गये विरासत नामान्तरकरण संख्या 1137 में गनेसिंह पुत्र सोनसिंह दर्ज किया गया जिसकी जानकारी उस समय अपीलांट को नही हुई। अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी व नामान्तरकरण की नकले प्राप्त करने पर अपीलान्ट को ज्ञान हुआ कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज नही है।

अपीलांट के समस्त पहचान दस्तावेजों में अपीलांट का नाम गेनसिंह पुत्र आपूसिंह दर्ज है, लेकिन नामान्तरकरण संख्या 1137 में अपीलांट का नाम गेनसिंह पुत्र सोनसिंह दायर किया गया। उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत केलनोर ने पारित करके भारी भूल की इसलिये अपीलांट ग्राम पंचायत केलनोर द्वारा पारित नामांन्तरकरण संख्या 1137 को खारिज करवाकर वादग्रस्त भूमि मौजा केलनोर हुकमसिंह, पटवार हल्का केलनोर तहसील चौहटन में खेत खसरा संख्या 413 रकबा 2.5171 हैक्टेयर व मौजा केलनोर, पटवार हल्का केलनोर में खेत खसरा संख्या 729/438 रकबा 9.7124 हैक्टेयर भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत केलनोर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1137 दिनांक 20.06.2009 को सव्यय खारिज कर वादग्रसत आराजी में अपीलांट का सही नाम गेनसिंह पुत्र आपूसिंह दर्ज करवाने हेतु यह राजस्व अपील पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण को जरिये सम्मन रजि. डाक से तलब किया गया। उतरदाता सं. 1 को सम्मन जरिये रजि. डाक से भेजे हुए पर्याप्त समय बावजूद उतरदाता सं. 1 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उतरदाता सं. 2 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार चौहटन उपस्थित। जवाब प्रस्तुत नही कर अपीलान्ट का सही नाम गेनसिंह पुत्र आपुसिंह किया जाना बताया गया।

अपीलान्ट व उतरदाता सं. 2 राज पैरोकार नायब तहसीलदार चौहटन को सुना गया। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में उतरदाता सं. 1 ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पंचायत केलनोर द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 1137 दिनांक 20.06.2009 को पारित किया गया था वह सव्यय खारिज फरमावें। उतरदाता संख्या 2 राज पेरोकार द्वारा अपीलांट का सही नाम गेनसिंह पुत्र आपूसिंह किया जाना उचित बताया गया।

हमने अपीलांट अधिवक्ता व राज पेरोकार नायब तहसीलदार चौहटन को सुना गया। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी मौजा केलनोर हुकमसिंह, पटवार हल्का केलनोर तहसील चौहटन में खेत खसरा संख्या 413 रकबा 2.5171 हैक्टेयर व मौजा केलनोर, पटवार हल्का केलनोर में खेत खसरा संख्या 729/438 रकबा 9.7124 हैक्टेयर भूमि के संबंध में जो उतरदाता सं. 1 ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए जो आदेश पारित किया, प्रक्रिया संबंधी विधि के उल्लंघन एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना के प्रतिकूल आदेश पारित किया है तो निरस्त योग्य है।

अतः न्यायहित में अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा केलनोर हुकमसिंह, पटवार हल्का केलनोर तहसील चौहटन में खेत खसरा संख्या 413 रकबा 2.5171 हैक्टेयर व मौजा केलनोर, पटवार हल्का केलनोर में खेत खसरा संख्या 729/438 रकबा 9.7124 हैक्टेयर भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत केलनोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 1137 दिनांक 20.06.2009 को निरस्त किया जाता है। तथा पुनः नये सिरे से तहसीलदार चौहटन को नामान्तरकरण पारित करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन